HINDUSTAN, Delhi, 20.12.2017
Page No. 13, Size:(17.75)cms X (16.18)cms.

यूआईडीएआई ने कहा, सब्सिडी वाले बैंक खाता बदलने को ग्राहक की मंजूरी अनिवार्य

ग्राहक की सहमति बिना खाता बदलने पर सख्ती

निर्देश

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

ग्राहकों की सहमति के बिना सब्सिडी वाला खाता बदलने के मामले में केंद्र ने सख्त रुख अपनाया है। आधार जारी करने वाले भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने मंगलवार बैंकों को निर्देश दिया कि सब्सिडी के लिए खाते में बदलाव ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना नहीं किया जाए।

यूआईडीएआई की यह अधिसूचना सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान, विशेषरूप से एलपीजी सब्सिडी लाभार्थियों के उन खातों में पहुंचने के बाद जारी की गई, जो आधार संख्या का इस्तेमाल कर सबसे बाद में खोले गए हैं। भारती एयरटेल के मामले में तो स्थिति और भी खराब है, जिसने अपने मोबाइल ग्राहकों का उनकी सहमति के बिना एयरटेल पेमेंट्स बैंक में खाता खोला और उनकी एलपीजी सब्सिडी इसी खाते में पहुंचने लगी। इन ग्राहकों ने आधार का इस्तेमाल एयरटेल के अपने सिम के सत्यापन के लिए किया था। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि ग्राहक की विधिवत सहमति के बिना बैंक खातों में बदलाव को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए एक सुरक्षित प्रक्रिया तैयार की गई है। सरकार ने सभी बैंक खातों तथा सिम के लिए 12 अंक की बायोमेट्रिक पहचान संख्या आधार से सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। करीब 190 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के उन खातों में पहुंच गई, जो ग्राहकों की विधिवत सहमति के बिना खोले गए थे।

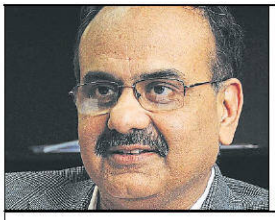

24 घंटे के भीतर सूचना देनी होगी

सब्सिडी वाले खाते में बदलाव के बारे में बैंकों को 24 घंटे के अंदर एसएमएस या ई मेल से ग्राहक को इसकी सूचना देनी होगी। उसे संबंधित व्यक्ति को इस बदलाव को पलटने का भी विकल्प देना होगा।

190 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिना सहमति एयरटेल पेमेंट बैंक खातों में पहुंची

31 लाख मोबाइल ग्राहकों की सब्सिडी उनके पुराने संबद्ध खातों में लौटाएगी कंपनी

लाभार्थी का ब्योरा जुटाए बिना सहमति न दे एनपीसीआई : अधिसूचना में कहा गया है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) सिर्फ उसी स्थिति में सब्सिडी वाले बैंक खातों को बदलने की अनुमति दे, जबकि उसके साथ लाभार्थी के मौजूदा बैंक का ब्योरा हो और बदलाव के लिए उसकी सहमति हो। इसमें कहा गया है कि जब तक यह प्रावधान लागू नहीं हो जाता, एनपीसीआई अपने सॉफ्टवेयर में सब्सिडी के खाते में बदलाव वाले (ओवरराइड फीचर) को हटाएगा।

एयरटेल से उठा विवाद

भारती एयरटेल का पेमेंट्स बैंक भी है। कंपनी ने मोबाइल ग्राहकों के आधार के जरिये उनके पेमेंट बैंक खाते खोले और उनको कोई विधिवत सूचना दिए बिना उनकी एलपीजी सब्सिडी को उनसे सम्बद्ध कर दिया। यूआईडीएआई द्वारा एयरटेल पर कार्रवाई के बाद तेल कंपनियों ने भी एयरटेल से सब्सिडी को लाभार्थियों के मूल खातों में डालने को कहा।

कड़ा रुख अपनाया

यूआईडीएआई ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया। इस पर कंपनी ने कहा कि वह अपने 31 लाख मोबाइल ग्राहकों के इस तरह के पेमेंट बैंक खातों में आई 190 करोड़ रुपये की राशि उन्हें अगले 24 घंटे में लौटा देगी। कंपनी अपने ग्राहकों को सूचित करेगी कि उनकी सब्सिडी को फिर से उसी खाते से जोड़ा जा रहा है, जिसे उन्होंने मूल रूप से चुना था।

ढाई करोड़ का जुर्माना भरा

एयरटेल ने अपने ग्राहकों के एयरटेल पेमेंट्स बैंक खाते खोलने के मामले में 2.5 करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना यूआईडीएआई में जमा करवा दिया है। एयरटेल ने सोमवार को नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया को पत्र लिखकर सूचित किया था कि वह पेमेंटस बैंक खातों में आई एलपीजी सब्सिडी को अपने 31 लाख मोबाइल ग्राहकों के पुराने खातों में लौटाएगी।